उत्तर प्रदेश में आरक्षित वनभूमि

2771. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कुल आरक्षित वन भूमि कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कई हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि पर विभिन्न गैर-कानूनी अधिक्रांताओं ने कब्जा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस भूमि से ऐसे अधिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उत्तर प्रदेश में आरक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 36,42,456 हेक्टेयर है।

(ख) जी, हां।

(ग) उत्तर प्रदेश में वनभूमि के 28,222 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध कब्जे किए गए है।

(घ) वनभूमि से अवैध कब्जों को हटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा राज्य भूमि राजस्व अधिनियम के उपबंधों के तहत वन-भूमि पर अवैध कब्जों के बारे में मामले दर्ज कराने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई है।

2. अवैध कब्जों को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष गश्ती दस्ते तैनात किए गए हैं;

3. कतिपय मामलों में, जहां अवैध काबिज विरोध करते हैं, पुलिस की सहायता ली जाती है।

"उत्तर प्रदेश में प्रदूषण रहित शहर"

2772. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों को प्रदूषण रहित बनाने हेतु कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में प्रदूषण रहित बनाने और उन पर लगातार निगरानी रखने हेतु कुछ नगरों को चुना गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उप-शमन के लिये अनेक कार्यक्रम और उपाय कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इनमें निम्न-लिखित शामिल हैं:–

1. गंगा कार्य योजना (चरण–1) के तहत उत्तर प्रदेश के छः नगरों अर्थात् हरिद्वार, फर्रूखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी की मल-जल के संग्रहण और दिशा-परिवर्तन तथा वर्तमान मल-जल शोधन संयंत्रों के उन्नयन के लिये शिनाख्त की गई है।

2. गंगा कार्य योजना (चरण–2) के तहत गंगा की सहायक नदियों अर्थात्

यमुना और गोमती के किनारे बसे चुनिंदा कस्बों की जल प्रदूषण के उपशमन के लिये शिनाख्त की गई है । गंगा कार्य योजना (चरण–2) की उत्तर प्रदेश में जिन ग्यारह नगरों को शामिल किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, (हिन्डन नदी पर), नौयडा, वृन्दावन, मथुरा, आगरा एवं इटावा (यमुना नदी पर) लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर (गोमती नदी पर) ।

3. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है ।

4. कानपुर और लखनऊ नगरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण संबंधी प्रमुख सर्वेक्षण किये गए हैं ।

5. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिये पर्यावरण दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं ।

6. उद्योगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और अपने बहिस्रावों/उत्सर्जनों को निर्धारित मानकों के अनुसार शोधित करने के निदेश दिये गये हैं ।

7. वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत पेट्रोल और डीजल चलित दोनों प्रकार के वाहनों के लिये उत्सर्जन मापदंड अधिसूचित कर दिये गये हैं और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा इनको कार्यान्वित किया जा रहा है ।

8. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, के तहत सितम्बर, 1993 में वाहनों के उत्सर्जनों के लिये अधिक सख्त मानदंड अधिसूचित किये गये हैं जो अप्रैल, 1996 से लागू होंगे ।

9. प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिये विभिन्न उपायों के संबंध में जनजागरूकता अभियान चलाये गये हैं ।

10. विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत बड़े उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । छोटे उद्योगों के समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिये भी सरकारी इमदाद और उदार ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं ।

"पशुओं हेतु पारगमन पास"

2773. **श्री शिवचरण सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर जिलों से होकर जाने हेतु इस वर्ष कितनी भेड़ों, ऊंटों या अन्य जानवरों के लिये पारगमन पास (ट्रांजिट पास) जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पारगमन पास (ट्रांजिट पास) केवल वन क्षेत्रों में से होकर जाने हेतु जारी किये जाते है, न कि उन क्षेत्रों में बसने हेतु ; और

(ग) क्या यह सच है कि वन विभाग के अधिकारी कुछ रिश्वत लेकर इन जानवरों को पूरे वर्ष इन जिलों में रखने देते हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले को मौके पर जांच कराएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन क्षेत्रों मे होकर भेड़, ऊंट अथवा अन्य पशुओं को ले जाने के लिये पारगमन पास जारी करने की भारतीय वन अधिनियम के तहत कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।